

Form No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

1

राज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर

सरकार बनाम बुच राम पुत्र बरगावर सिंह जट/जात 324M

केस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं. 62 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
01/2018	<p>पटवारी हल्का <u>15 BLD A</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>424M</u> के मुरब्बा नं. <u>244</u> के <u>912</u> बीघा, भूमिरकबा राज है जिस पर श्री <u>बुच राम</u> पुत्र श्री <u>बरगावर सिंह</u> जाति <u>जट/जात</u> सा. <u>324M</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावें।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/2/2018</u> को पेश है।</p> <p>20-2-18 पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	<p>नोटिस 83 <u>25/1/18</u> <u>कुर्की आदेश फसल</u> <u>84</u> <u>25/1/18</u></p>

31/5/18 * पञ्जाब की अदालत आई ILR 12/3/1944
 द्वारा निम्नलिखित अदालत की गरी लकी चिक
 नोलीयता खोदना लाए जाते हुए अदालत के
 की 400 रु की दंडी उम्त नोली हवी मात
 की गरी ILR द्वारा निम्नलिखित शरी परिषद
 नमक 59 दिनांक 31/5/18 द्वारा शरकोष के
 जमा कला दी गई है जो शामिल पञ्जाब की
 की जाते हैं एवं मांगें दर्ज लेवा की जाते
 पञ्जाबी स्वका द्वारा अतिक्रमों को बेदखल कर
 फरमा नमक अदालत द्वारा कल लिखा गया है
 तावान शरी वदुल कल की गई है पञ्जाब की देश
 कार्यालय अस्पेक्षित रही है पञ्जाब की फैसला
 शरक धरिदर हफात है।

पंजाब की अदालत सं. 05 क्र. सं. 02

दिनांक 11/5/18 राशि 400 रु की किया।

83

पालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर



सं० 62/18

वर्ष

मान सरकार बनाम बुधराम शि० अस्तावर सिंह जपसिख सा 3LGM

करण दिनांक 25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

मान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

रीख क्रम	हुकम या कार्यावाही का इतिशायलस जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
2-18	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् १९०७५ खी में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 15 B.L.A. का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी बुधराम पुत्र अस्तावर सिंह जाति जपसिख निवासी 3LGM को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 4LGM मु.नं. 244/414 कुल 912 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 1.0 गुणा राशि 73 - शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 B.L.M को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर </p> <p style="text-align: center;"> 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 05 की क्रम सं. 8 दिनांक 12-3-18 को 73 - दर्ज किया गया। </p> <p style="text-align: right;">  ता 0 रा 0 ले 0 </p>	